अध्याय XXII : गृह मंत्रालय, संस्कृति और उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

22.1 निधियों का अवरोधन

शहरी विकास एवं गरीबी उन्मूलन मंत्रालय ने 2001 में कार्यालय भवन के निर्माण के लिए गृह मामले, संस्कृति एवं उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं लोक संवितरण मत्रालयों के स्वायत्त निकायों/संलग्न कार्यालयों को भूमि आबंटित की। 2004 में, यह निर्णय लिया गया था कि भवन के निर्माण हेतु वित्तीय आवश्यकता के भाग को समेकित सामान्य पूल कार्यालय परिसर हेतु प्रावधानों से पूरा किया जाए तथा पहले अदा की गई भूमि की लागत का निर्माण लागत के प्रति समायोजन किया जाएगा। भवन के क्रियात्मक बनाए जाने के पश्चात भी उपभोक्ता विभागों की भूमि की लागत हेतु अदा की गई राशि के समायोजन की मांग करने मे विफलता 12 वर्षों से अधिक के लिए ₹1.24 करोड़ के अवरोधन का कारण बनी।

शहरी विकास तथा गरीबी उन्मूलन मंत्रालय (एम.ओ.यू.डी.) के केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग (सी.पी.डब्ल्यू.डी.) ने नई दिल्ली[1] में 7.64 एकड़ माप के एक प्लाट पर एक समेकित कार्यालय परिसर का निर्माण करने की योजना की। परिसर में छः आपस मे जुडे बहुमंजिला ब्लॉक होने थे। एम.ओ.यू.डी. ने विभिन्न स्वायत्त निकायों/सलंग्न कार्यालयों नामतः (i) राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, (एन.एच.आर.सी.), गृह मंत्रालय, (ii) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ए.एस.आई.), संस्कृति मंत्रालय तथा (iii) राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निपटान आयोग (एन.सी.डी.आर.सी.), उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं लोक संवितरण मंत्रालय हेतु परिसर में तीन ब्लॉकों के लिए भूमि का आबंटन किया (2001)। ब्यौरे नीचे दिए गए हैं:-

[1] आई.एन.ए., विकास सदन के पास, नई दिल्ली

क्र.सं.	विवरण	एन.एच.आर.सी.	ए.एस.आई.	एन.सी.डी.आर.सी.
1	भूमि का माप	9467.92 वर्ग मी.	8385.23 वर्ग मी.	4936.80 वर्ग मी
2	अदा की गई भूमि की कीमत	₹51.48 लाख	₹45.59 लाख	₹26.84 लाख
3	आबंटन की तिथि	27.4.2001 तथा 19.12.2002	21.12.2001	14.8.2001
4	एम.ओ.यू.डी. को भुगतान की तिथि	15.1.2002 तथा 2.1.2003	17.9.2002	09.11.2001

आबंटन की शर्तों के अनुसार, ग्राहियों (उपभोक्ता विभागों) को भूमि के अधिग्रहण की तिथि से दो वर्षों की अवधि के भीतर भवन का निर्माण करना अपेक्षित था।

चूंकि उपभोक्ता विभागों के पास निर्माण परियोजना को प्रारम्भ करने हेतु पर्याप्त योजना प्रावधान नहीं थे इसलिए एम.ओ.यू.डी. ने जुलाई 2003 में निर्णय लिया कि वित्तीय आवश्यकता के भाग को एम.ओ.यू.डी. द्वारा संचालित समेकित सामान्य पुल कार्यालय परिसर (जी.पी.ओ.ए.) हेतु प्रावधानों से पूरा किया जाएगा। बाद में, एम.ओ.यू.डी. ने सूचित किया (मार्च 2004) कि कागजों पर, स्थल के सीमांकन के बिना, दिए गए भूमि के अधिग्रहण को रद्द माना जाए क्योंकि आबंटन 'एक लिफाफे' के लिए होगा न कि भूमि के लिए जब तक कि यह आई.एन.ए. में समेकित कार्यालय परिषद पर न होगा। यह आगे स्पष्ट किया कि उपभोक्ता विभागों द्वारा भूमि लागत के प्रति भुगतान की गई राशि निर्माण की लागत के प्रति समायोजित की जाएगी।

तद्नुसार, सी.पी.डब्ल्यू.डी ने ₹83.67 करोड़ की लागत पर समेकित जी.पी.ओ.ए के पॉच ब्लॉकों[2] की अनुमानित लागत को अंतिम रूप दिया जिसे फरवरी 2005 में एम.ओ.यू.डी. द्वारा स्वीकृत किया गया था।

समेकित जी.पी.ओ.ए. की लागत को बाद में जनवरी 2008 में एम.ओ.यू.डी. द्वारा ₹135.03 करोड़[3] तक संशोधित किया गया था। निर्माण की लागत का ब्यौरा निम्नानुसार था:

[2] परिसर के एक ब्लॉक का निर्माण पहले ही हो चुका था तथा उसे सी.वी.सी. द्वारा अधिकृत किया गया था।

[3] लागत में वृद्धि स्थानीय निकायों से स्वीकृति प्राप्त करने में विलम्ब भवन के डिजाईन मे परिवर्तन आदि को आरोपित थी।

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	विवरण	एन.एच.आर.सी.	ए.एस.आई.	एन.सी.डी.आर.सी.
I.	निर्माण[4] की आनुपातिक लागत	32.90	29.65	19.91
II.	संबंधित विभागों द्वारा भुगतान की तिथि	अगस्त 2003 से अप्रैल 2011	जनवरी 2009 से जून 2010	जून 2008 से अगस्त 2009
III.	भवन को उपयोग में लाने की तिथि	सितबंर 2013	फरवरी 2014	अगस्त 2011

लेखापरीक्षा ने पाया कि व्यक्तिगत स्वायत्त निकायों/उपभोक्ता विभागों द्वारा पहले ही जमा की गई भूमि की लागत के समायोजन से संबंधित मामले को भवन को क्रियात्मक बनाने के पश्चात उनके द्वारा एम.ओ.यू.डी. के साथ उठाया नहीं गया था।

लेखापरीक्षा में मामले को उठाने के पश्चात्, उपभोक्ता कार्य मंत्रालय ने एन.सी.डी.आर.सी. (जुलाई 2014) को भूमि के लागत के प्रति अदा की गई राशि के समायोजन हेतु एम.ओ.यू.डी. के साथ मामले को आगे बढाने का निर्देश दिया। बाद में, एम.ओ.यू.डी. द्वारा जून 2015 में एन.सी.डी.आर.सी. को ₹26.84 लाख वापस किया गया था। एन.एच.आर.सी. ने बताया (दिसबंर 2015) कि मामले को एम.ओ.यू.डी. के साथ उठाया गया था जिसने सलाह दी थी कि मामला प्रक्रियाधीन था तथा सी.पी.डब्ल्यू.डी. से उपयोग प्रमाण पत्र की प्राप्ति पर राशि को वापस किया जाएगा। ए.एस.आई. ने बताया (नवम्बर 2015) कि एम.ओ.यू.डी. को भूमि की लागत के प्रति जमा की गई पूर्ण राशि को वापस करने हेतु नवम्बर 2015 में अनुरोध किया गया था।

इस प्रकार, यह स्पष्ट होगा कि स्वायत्त निकाय/उपभोक्ता विभाग मामले का पर्याप्त पर्यवेक्षण करने में विफल रहा जो 12 वर्षों से अधिक तक ₹1.24 करोड़ के अवरोधन का कारण बना।

[4] शेष ₹52.57 करोड़ शीर्ष जी.पी.ओ.ए. के अतंर्गत शहरी विकास हेतु प्रभारित थे।

22.2 अवकाश यात्रा रियायत दावों की कपटपूर्ण प्रतिपूर्ति

गृह मंत्रालय तथा संस्कृति मंत्रालय के कर्मचारियों ने अपने अवकाश यात्रा रियायत दावों के प्रति बढ़ाए हुए हवाई किराए का दावा करने हेतु गलत हवाई टिकटें प्रस्तुत की थीं जो 45 मामलों में ₹14.32 लाख के अनियमित अधिक भुगतान का कारण बनीं।

सामान्य वित्तीय नियमावली (जी.एफ.आर.), 2005 का नियम 21 अनुबंध करता है कि लोक धन से व्यय करने अथवा प्राधिकृत करने वाला प्रत्येक अधिकारी को वित्तीय औचित्य के उच्च मानकों द्वारा मार्गदर्शित होना चाहिए तथा उसे वित्तीय आदेश तथा कड़ी मितव्ययता को लागू करना चाहिए। वह यह भी बताता है कि व्यय को पूरा करने हेतु प्रदान किए गए भत्तों की राशि को इस प्रकार विनियंत्रित किया जाना चाहिए कि भत्ते कुल मिलाकर प्राप्तकर्ताओं हेतु लाभ का स्रोत न हों।

कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी कार्यालय ज्ञापन (ओ.एम.) दिनॉक 18 जून 2010 के अनुसार, सभी सरकारी कर्मचारी गृह नगर अवकाश यात्रा रियायत के परिवर्तन के प्रति जम्मू एवं कश्मीर (जे. एण्ड के.) का दौरा कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त, जी.ओ.ई. ने जे. एण्ड के. हेतु निजी हवाई कम्पनी की सेवाओं का लाभ उठाने हेतु कर्मचारियों को अनुमत किया (ओ.एम. दिनॉक 05 अगस्त 2010, 25 अगस्त 2011 तथा 15 जून 2012) परंतु अनुबद्ध किया कि टिकटों की खरीद या तो सीधे हवाई कम्पनी से या फिर प्राधिकृत एजेंटों अर्थात् मैसर्स बालमेर लॉरी एण्ड कम्पनी, मैसर्स अशोक ट्रेवल्स एण्ड टूर्स लिमिटेड तथा भारतीय रेल कैटरिंग एवं पर्यटन निगम के माध्यम से की जानी थी।

एल.टी.सी. बिलों की नमूना जांच ने उजागर किया कि गृह मंत्रालय तथा संस्कृति मंत्रालय के 44 अधिकारियों/कर्मचारियों ने निजी हवाई कम्पनी द्वारा यात्रा हेतु सरकार द्वारा प्रदत्त छूट का लाभ उठाके जे. एण्ड के. तक हवाई यात्राएं की थी। यात्राएं तीन निजी हवाई कम्पनियों नामत: इंडीगो, स्पाईसजेट तथा गो एयर के माध्यम से की गई थीं। इसके अतिरिक्त, संस्कृति मंत्रालय के एक कर्मचारी ने एयर इंडिया के माध्यम से अण्डमान एवं निकोबार द्वीपसमूह तक हवाई यात्रा की थी। हमने मंत्रालय में इन अधिकारियों/कर्मचारियों के वर्ष 2013-14 तथा 2014-15 के

एल.टी.सी. दावों की प्रतिपूर्ति की हवाई कम्पनियों की वैबसाईट पर उपलब्ध ब्यौरे से तुलना करके नमूना जांच की थी तथा पाया कि दावों के साथ प्रस्तुत बिल सही नहीं थे। लेखापरीक्षा ने पाया कि इन अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा प्रस्तुत हवाई टिकटें हवाई कम्पनियों द्वारा जारी टिकटों के समरूपता में नहीं थी तथा कर्मचारियों द्वारा दावा किए गए किराए इन हवाई कम्पनियों को वास्तव में अदा किए गए से अधिक थे जिसका परिणाम ₹14.32 लाख के अनियमित अधिक भुगतान में हुआ।

इंगित किए जाने पर गृह मंत्रालय ने तथ्यों को स्वीकार किया तथा बताया (दिसम्बर 2015) कि लेखापरीक्षा द्वारा तैयार ब्यौरे इंडिगो तथा स्पाईसजेट हवाई कम्पनियों से प्रमाणित थे तथा उन्हें समरूप[5] पाया गया था। उसने आगे बताया कि मामले की जांच करने हेतु दो सदस्यों की समिति गठित कर दी गई थी। संस्कृति मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित था।

एम.एच.ए. का उत्तर लेखापरीक्षा निष्कर्षों को सुनिश्चित करता है। यह अनुशंसा की जाती है कि मामले की जांच की जाए तथा उपयुक्त कार्रवाई की जाए।

[5] गो एयर से अभिपुष्टि प्रतीक्षित थी